

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-06/03/2019

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-7828, दिनांक-24/10/2018 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 9 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1/2019-E-II(B) दिनांक-27/02/2019 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक-01/01/2019 के प्रभाव से 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
- (ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णकृत कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

- (v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।
- (vi) जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक के बकाये राशि का भुगतान दिनांक-01/04/2019 के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में होगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/01/2019 से भुगतेय है और इसका भुगतान मार्च, 2019 के वेतन में जोड़कर किया जा सकेगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 2265/वि० पटना, दिनांक:-06.03.2019

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 2265/वि० पटना, दिनांक:-06.03.2019

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 2265/वि०

पटना, दिनांक:-06.03.2019

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मैंहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 2265/वि०

पटना, दिनांक:-06.03.2019

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

बिहार सरकार कृषि विभाग

ज्ञापांक-3/कृ०-बजट-विविध- 85/2015

1432

/कृ०, पटना, दिनांक: - 15/04/ 2019

Fax/Mail

प्रतिलिपि :-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक बामेति /निदेशक पी०पी०एम०/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/प्रशासी-सह-लेखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/कृषि निदेशालय/मुख्य लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या:-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-2265/वि० दिनांक-06.03.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 1432

/क०, पटना, दिनांक: - 15/04/ 2019

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई-टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सहायक-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।